



2026:AHC:7449

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 38413/ 2025

आलोक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: इन्द्र राज

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र राज तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री याज्ञवल्क पांडेय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक आलोक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 593 सन् 2025, धारा 78 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 9 एम/10 पॉक्सो अधिनियम, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है और वह 26.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है। पीड़िता ने अपने चिकित्सीय परीक्षण से इंकार कर दिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक **आलोक**, उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 12 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश